भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3240

जिसका उत्तर 09 दिसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया गया

बैंक धोखाधड़ी

3240. श्री रामचरण बोहराः श्री खगेन मुर्मुः
श्री सुखबीर सिंह जौनापुरियाः श्री तालारी रंगैय्याः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों में हुई हानियां इन बैंकों में बढ़ती धोखाधड़ियों के कारण हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन बैंकों को बैंक और राज्य-वार कितना लाभ और हानि हुई है;

(ख) क्या सरकार देश में सरकारी, निजी और सहकारी बैंकों में बार-बार होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बैंक धोखाधड़ियों के लिए जिम्मेदार बैंक अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): वैश्विक परिचालन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का कुल सकल अग्रिम दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, 25,03,431 करोड़ रुपए से बढ़कर दिनांक 31.03.2014 को 68,75,748 करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों में अचानक हुई वृद्धि के पाए गए मुख्य कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आक्रामक उधार पद्धति, इरादतन चूक/ऋण धोखाधड़ी/कुछेक मामलों में भ्रष्टाचार तथा आर्थिक मंदी है। परिशुद्ध एवं पूर्णत: प्रावधानीकृत बैंक तुलन-पत्र के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) से अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) में अत्यधिक वृद्धि का पता चला। एक्यूआर तथा बैंकों द्वारा तदनंतर पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप दबावग्रस्त खातों को एनपीए के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में अनुमानित हानियों, जिनके लिए पुनर्संरचित ऋणों के लिए प्रदान किए गए लचीलेपन के अंतर्गत पूर्व में प्रावधान नहीं किए गए थे, के लिए प्रावधान किए गए। इसके अलावा, दबावग्रस्त ऋणों की पुनर्संरचना संबंधी ऐसी सभी योजनाओं को वापस ले लिया गया था। मुख्यतया दबावग्रस्त आस्तियों की एनपीए के रूप में पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप, वैश्विक परिचालनों पर आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, एससीबी का सकल एनपीए अनुपात दिनांक 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार, 3,23,464 करोड़ रु. से बढ़कर दिनांक 31.03.2018 की स्थिति

के अनुसार 10,36,187 करोड़ रु. हो गया। एनपीए की पारदर्शी पहचान, समाधान, पुनर्पूंजीकरण और सुधार की सरकार की 4आर कार्यनीति के परिणामस्वरूप दिनांक 30.6.2019 को अब 97,996 करोड़ रु. घटकर 9,38,191 करोड़ रुपए हो गया है और एससीबी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 1,56,702 करोड़ रुपए की रिकार्ड वसूली सहित पिछले चार वित्तीय वर्ष के दौरान 4,01,393 करोड़ रुपए की वसूली की है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान क्रमशः 1,55,603 करोड़ रुपए और 1,53,871 करोड़ रुपए का समग्र परिचालन लाभ अर्जित किया है। तथापि, मुख्यतया एनपीए के लिए सतत बढ़ते हुए प्रावधान के कारण उन्होंने एनपीए और अन्य आकस्मिकताओं के लिए क्रमशः 2,40,973 करोड़ रुपए और 2,35,623 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जिसके परिणामस्वरूप उन्हें क्रमशः 85,370 करोड़ रुपए और क्रमशः 81,752 करोड़ रुपए की समग्र निवल हानियां हुई। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 3,221 करोड़ रुपए का समग्र लाभ सूचित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में लाभप्रदत्ता की ओर वापसी की है। पीएसबी और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्ष और चालू वित्त वर्ष के दौरान और पिछले तीन वर्ष के लिए परिचालन लाभ, प्रावधानीकरण और निवल लाभ/हानि का बैंक-वार विवरण अनुबंध में है।

(ख): बैंकों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन ढांचे को सुदृढ़ बनाने और लगातार हो रही बैंक धोखाधड़ियों को रोकने के लिए सरकार और आरबीआई ने कई कदम उठाए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) आरबीआई ने धोखाधड़ी - वर्गीकरण और सूचित करना पर मास्टर निदेश जारी किये हैं जिनमें बैंकों से अपेक्षित है कि वे एक अवसीमा राशि से अधिक की धोखाधड़ियों की सूचना पुलिस को दें, विशेष समिति द्वारा मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करें, बैंक बोर्डों की लेखापरीक्षा समितियों के समक्ष सूचना को त्रैमासिक रूप से प्रस्तुत करें, तथा बैंकों द्वारा धोखाधड़ियों की वार्षिक समीक्षा की जाये। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, रोकथामी उपाय, धोखाधड़ी पहचान प्रणालियां, प्रणालीगत खामियां, उपचारी कार्रवाई, जांच और वसूली की प्रगति की निगरानी तथा स्टाफ जवाबदेही कवर होती हैं।

(2) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को "बड़े मूल्य वर्ग की बैंक धोखाधड़ियों की समय से पहचान, सूचना देना, जांच इत्यादि से संबंधित ढ़ांचा" जारी किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि -

(i) 50 करोड़ रुपये से अधिक के सभी खाते, यदि अनुप्रयोज्य आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत होते हैं तो, बैंकों द्वारा उनकी धोखाधड़ी दृष्टिकोण से जांच की जाये एवं इस जांच के निष्कर्षों पर रिपोर्ट को एनपीए की समीक्षा हेतु बैंक की समिति के समक्ष रखा जाये;

(ii) आरबीआई को धोखाधड़ी के बारे में तत्काल सूचित करने के उपरांत इरादतन चूक के लिए जांच प्रारंभ की जाये; तथा

(iii) यदि खाता एनपीए बन जाता है तो केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो से उधारकर्ता पर रिपोर्ट मंगाई जाये।

(3) भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रहकर भारतीय विधि प्रक्रिया से बचने से आर्थिक अपराधियों को रोकने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम, 2018 को अधिनियमित किया गया है। इसमें भगोड़ा आर्थिक अपराधी की संपत्ति की कुर्की, ऐसे अपराधी की संपत्ति को जब्त करने तथा अपराधी को किसी सिविल दावे की पैरवी करने के हक वंचित करने की व्यवस्था है।

(4) आरबीआई द्वारा बैंकों तथा चुनिन्दा वित्तीय संस्थाओं द्वारा दायर किये गये धोखाधड़ी निगरानी विवरणियों पर आधारित केन्द्रीय धोखाधड़ी रजिस्टरी (सीएफआर) की स्थापना की गई है जिसका बैंकों द्वारा एक सर्चेबल ऑनलाइन केन्द्रीयकृत डाटा बेस के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

(5) लेखापरीक्षा मानकों के प्रवर्तन तथा लेखापरीक्षाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में राष्ट्रीय वित्तीय रिर्पोटिंग प्राधिकरण की स्थापना की है।

(6) धोखाधड़ी जोखिम के प्रबंधन तथा बैंकों के ध्यान को ऋण धोखाधड़ियों की शीघ्र पहचान, आरबीआई तथा जांच एजेंसियों को तत्परता से सूचित करने और स्टाफ जवाबदेही कार्यवाहियों को समय से प्रारंभ करने हेतु केन्द्रित करने के लिए 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक की ऋण धोखाधड़ियों से निपटने हेतु आरबीआई ने ऋण धोखाधड़ियों तथा रेड फ्लैग खातों (आरएफए) से निपटने के लिए बैंक की ओर से अपेक्षित कार्रवाईयों के लिए समय सीमा सहित एक ढांचा जारी किया है जिसमें बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे जानकारी में आये शीघ्र चेतावनी संकेतों को देखने/मूल्यांकन करने के आधार पर संभावित धोखाधड़ी खातों को आरएफए के रूप में वर्गीकृत करें। रेड फ्लैगिंग एक सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म पर की जाती है जहां पर सभी बैंक कंपनियों/व्यक्तियों के बड़े एक्सपोजरों की सूचना देते हैं ताकि अन्य बैंकों को धोखाधड़ी जोखिम के बारे में पूर्व में चेतावनी दी जा सके।

(7) आरबीआई ने आंतरिक नियंत्रण में पायी गयी त्रुटियों; जिनके परिणामस्वरूप जमा खातों में धोखाधड़ियां, चेक का दुरुपयोग हुआ; के लिए बैंकों पर जुर्माना लगाया है। उसने प्रक्रियाओं/दिशानिर्देशों/सूचित करने इत्यादि के अनुसरण में चूक पर कुछ बैंकों को 'चेतावनी पत्र' (लैटर ऑफ वार्निंग) भी जारी किया था।

(8) आरबीआई ने फरवरी, 2018 में सभी बैंकों को कोर बैंकिंग समाधान/प्रलेखीकरण प्रणाली तथा स्विफ्ट संदेश प्रणाली के बीच स्ट्रेट-थ्रू प्रक्रिया, स्विफ्ट में समय आधारित प्रतिबंध सक्षम बनाना, नियमित अंतरालों पर लॉग्स की समीक्षा, पुनर्मिलान करना, इत्यादि जैसे सुरक्षा और परिचालनात्मक नियंत्रणों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए एक परिपत्र जारी किया है।

(9) आरबीआई ने बैंकों को अनुदेश दिया है कि वे त्रुटिपूर्ण तृतीय पक्षकार सेवाएं (जैसे कि विधिक जांच रिपोर्टें, संपत्ति मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्टें इत्यादि) तथा ऐसे प्रदाताओं की धोखाधड़ीकर्ताओं के साथ मिली भगत के विरूद्ध अप्रभावी कार्रवाई की सूचना भारतीय बैंक संघ, जो कि ऐसे सेवा प्रदाताओं के विरूद्ध चेतावनी सूची बनाता है।

(10) अनुदेश/चेतावनियां जारी की गई है-

(i) सरकार द्वारा पीएसबी को आरबीआई के अनुदेशों और उनकी बैंक अनुमोदित नीति के अनुसार इरादतन चूककर्ताओं की तस्वीरें प्रकाशित करने पर निर्णय लेने हेतु,

(ii) सरकार द्वारा पीएसबी को 50 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक की ऋण सुविधाएं प्राप्त करने वाली कंपनियों के प्रवर्तकों /निदेशकों तथा अन्य प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु। लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिये अनुरोध करने हेतु पीएसबी के प्रमुखों को भी शक्तियां दी गई हैं।

(iii) आरबीआई द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्डों की स्किमिंग की रोकथाम के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने हेतु,

(iv) आरबीआई द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को बड़े मूल्य वर्ग के ऋण खातों के संबंध में मालिकाना दस्तावेजों की विधिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने हेतु, तथा

(v) आरबीआई द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अधिकारियों/कर्मचारियों के रोटेशनल ट्रांसफर को कड़ाई से सुनिश्चित करने हेतु।

(11) आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए धोखाधड़ियों पर महत्वपूर्ण सुरक्षोपायों, निधियों के दुर्विनियोजन, गबन और हड़पने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके अतिरिक्त, आरबीआई द्वारा केवल यूसीबी द्वारा सूचित धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु एक रिपोर्टिंग तंत्र भी लागू किया गया है। यूसीबी को यह भी परामर्श दिया गया है कि केवल एक करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की संलिप्त राशियों की धोखाधड़ियों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए विशेष समिति गठित कि जाएं, जिसका अध्यक्ष बैंक का अध्यक्ष होगा, जबकि आम तौर पर बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति धोखाधड़ियों के मामलों की निगरानी करेगी।

(ग): पीएसबी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीएसबी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध, उचित प्रक्रिया के उपरान्त, शास्तियां लगाते हैं जिनमें बर्खास्तगी/सेवा से हटाना/सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति इत्यादि शामिल होती है तथा इसके अतिरिक्त, जहां पर धोखाधड़ी का अंश पाया जाता है वहां पुलिस अथवा केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई जाती है।

*****

अनुबंध

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के परिचालन लाभ, प्रावधानीकरण और निवल लाभ/हानि का विवरण

राशि करोड़ रुपए में

बैंक	परिचालन लाभ				अवधि के दौरान किए गए प्रावधान				निवल लाभ			
	वि.व. 2016-17	वि.व. 2017-18	वि.व. 2018-19	एच1' वि.व.2019-20	वि.व. 2016-17	वि.व. 2017-18	वि.व.2018-19	एच1' वि.व.2019-20	वि.व. 2016-17	वि.व. 2017-18	वि.व. 2018-19	एच1' वि.व.2019-20
इलाहाबाद बैंक *	3,867	3,438	2,767	1,492	4,180	8,113	11,101	3,478	-314	-4,674	-8,334	-1,986
आंध्रा बैंक *	4,400	5,378	5,039	2,562	4,226	8,791	7,825	2,440	174	-3,413	-2,786	122
ऐक्सिस बैंक#	17,585	15,594	19,005	11,844	13,905	15,319	14,329	10,586	3,679	276	4,677	1,258
बंधन बैंक#	1,793	2,430	3,748	1,986	681	1,085	1,797	721	1,112	1,346	1,952	1,265
बैंक ऑफ बड़ौदा *	10,975	12,006	13,487	9,612	9,592	14,437	13,053	8,165	1,383	-2,432	434	1,447
देना बैंक	1,390	1,171	198	बैंक ऑफ बड़ौदा में समामेलित	2,254	3,094	6,536	बैंक ऑफ बड़ौदा में समामेलित	-864	-1,923	-6,339	बैंक ऑफ बड़ौदा में समामेलित
विजया बैंक	2,421	3,098	2,419		1,671	2,371	4,853		750	727	-2,434	
बैंक ऑफ इंडिया*	9,733	7,139	8,092	4,731	11,291	13,183	13,639	4,222	-1,558	-6,044	-5,547	509
बैंक ऑफ महाराष्ट्र *	1,827	2,191	2,198	1,410	3,200	3,337	6,981	1,214	-1,373	-1,146	-4,784	196
केनरा बैंक *	8,914	9,548	10,591	4,985	7,792	13,770	10,244	4,291	1,122	-4,222	347	694
कैथोलिक सीरियन बैंक #	152	74	13	104	150	172	211	59	2	-97	-199	44
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया *	3,089	2,733	3,126	2,131	5,528	7,838	8,768	1,878	-2,439	-5,105	-5,641	252
सिटी यूनियन बैंक #	994	1,208	1,240	698	491	616	557	319	503	592	683	379
कॉर्पोरेशन बैंक *	4,440	3,950	3,894	1,871	3,878	8,004	10,227	1,638	561	-4,054	-6,333	233
डीसीबी बैंक #	418	525	647	351	219	280	321	179	200	245	325	172
धनलक्ष्मी बैंक #	94	146	95	77	82	171	83	35	12	-25	12	42
फेडरल बैंक #	1,925	2,291	2,763	1,502	1,094	1,412	1,519	701	831	879	1,244	801
एचडीएफसी बैंक #	25,931	32,893	39,933	22,959	11,382	15,406	18,855	11,045	14,550	17,487	21,078	11,913
आईसीआईसीआई बैंक #	26,730	25,021	25,165	13,381	16,928	18,243	21,802	10,818	9,801	6,777	3,363	2,563
आईडीबीआई बैंक लि.#	4,578	7,905	4,052	1,960	9,737	16,142	19,168	9,220	-5,158	-8,238	-15,116	-7,260
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक #	1,753	1,263	-1,749	735	734	404	195	2,032	1,020	859	-1,944	-1,297
इंडियन बैंक *	4,001	5,001	4,881	2,876	2,595	3,742	4,559	2,152	1,406	1,259	322	724
इंडियन ओवरसीज बैंक *	3,650	3,629	5,034	1,574	7,067	9,929	8,800	4,170	-3,417	-6,299	-3,766	-2,596
इंडसइंड बैंक #	5,451	6,656	8,088	5,191	2,583	3,050	4,787	2,375	2,868	3,606	3,301	2,816

जम्मू एंड कश्मीर बैंक #	1,294	1,382	1,718	747	2,927	1,179	1,253	724	-1,632	203	465	23
कर्नाटक बैंक #	996	1,473	1,450	763	544	1,148	973	482	452	326	477	281
करूर वैश्य बैंक #	1,571	1,777	1,711	876	965	1,432	1,500	740	606	346	211	136
कोटक महिंद्रा बैंक#	5,985	7,158	8,348	4,907	2,573	3,074	3,483	1,823	3,412	4,084	4,865	3,085
लक्ष्मी विलास बैंक #	634	355	-12	-66	378	940	882	529	256	-585	-894	-594
नैनीताल बैंक #	110	98	109	67	61	49	82	38	48	49	27	29
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स*	4,170	3,703	3,754	2,201	5,264	9,575	3,699	1,963	-1,094	-5,872	55	239
पंजाब एंड सिंध बैंक *	1,242	1,145	1,397	520	1,041	1,889	1,940	1,019	201	-744	-543	-499
पंजाब नैशनल बैंक *	14,565	10,294	12,995	7,043	13,240	22,577	22,971	5,518	1,325	-12,283	-9,975	1,526
आरबीएल बैंक #	920	1,331	1,940	1,255	474	696	1,073	933	446	635	867	321
साउथ इंडियन बैंक #	1,215	1,481	1,239	729	822	1,146	991	571	393	335	248	158
भारतीय स्टेट बैंक*	61,031	59,511	55,436	31,445	62,410	66,058	54,574	26,121	-1,379	-6,547	862	5,324
सिंडिकेट बैंक *	4,233	3,864	2,819	1,766	3,874	7,087	5,407	2,496	359	-3,223	-2,588	-729
तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक #	876	1,006	884	440	559	784	626	289	317	222	259	151
यूको बैंक *	2,926	1,334	2,760	2,408	4,777	5,771	7,081	3,902	-1,851	-4,436	-4,321	-1,493
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया*	7,430	7,540	7,521	4,127	6,875	12,787	10,468	5,096	555	-5,247	-2,947	-969
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया*	1,553	1,024	1,412	1,281	1,333	2,479	3,728	1,052	220	-1,454	-2,316	229
येस बैंक #	5,833	7,750	8,137	3,417	2,507	3,525	6,417	3,904	3,326	4,225	1,720	-486

स्रोतः आरबीआई # वित्तीय वर्ष 2019-20 की एच1 हेतु आंकड़ें अनंतिम हैं।

*वित्तीय वर्ष 2019-20 की एच1 हेतु आंकड़ें लेखापरीक्षित हैं (स्रोतः पीएसबी)

*****